राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 91/2019 प्रा0पत्र

अनवान

1. उदा पिता पेमाराम जाति प्रजापत आयु 64 वर्ष।
2. लक्ष्मण लाल पिता पेमाराम जाति प्रजापत उम्र 59 वर्ष।
3. केला पिता पेमाराम प्रजापत उम्र 53 वर्ष ।

समस्त निवासीयान् नेड़ी भीम तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... वादीगण

बनाम

जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार , तहसील भीम जिला राजसमंद

.... प्रतिवादी

उपस्थिति :–

01. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम सिंह चौहान
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः– 11/03/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। वादीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की ग्राम नेड़ी पटवार हल्का भीम भू.अ. निरीक्षक भीम तहसील भीम में कृषि भूमि स्थित है जिसके खसरा संख्या 15515, 15516, 15517, 15518 कुल किता 04 रकबा 03 बीःघा 11 बिस्वा एवं खाता संख्या 384 खसरा संख्या 14690, 14691, 14692, 14693, 14694, 14695, 14696, 14697, 14698, 16296 कुल किता 10 रकबा 12 बीघा है। उक्त भूमि में वादी का नाम लादू पिता पेमाराम के स्थान पर लक्ष्मणलाल पिता पेमाराम दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है। वादी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र, जमाबंदी की प्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। वादीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार रिकॉर्ड में उपरोक्त नाम शुद्धि उचित है तथा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादी ने बहस में भी प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, प्रतिवादी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर खाता संख्या 383 खसरा संख्या 15515, 15516, 15517, 15518 कुल किता 04 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा में लादू पिता पेमा के स्थान पर

–निरन्तर–

लक्ष्मणलाल पिता पेमाराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खाता संख्या 384 खसरा संख्या 14690, 14691, 14692, 14693, 14694, 14695, 14696, 14697, 14698, 16296 कुल किता 10 रकबा 12 बीघा भूमि में प्रार्थी का नाम खातेदारों में दर्ज नहीं होने से नाम शुद्धि किया जाना संभव नहीं है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द